न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 317 / 2024

मंजू कनवा पत्नी मुकेश कमल निवासी ग्राम रायपुर जागीर तहसील व जिला नीम का थाना।

वादिया

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र सुरजा निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
2. नानची देवी पत्नी रामपाल निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
3. प्रकाश पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
4. दुर्गा देवी पत्नी भागीरथ निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
5. सुभाष पुत्र भागीरथ निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
6. मंगला पुत्र भागीरथ निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
7. सुनिल पुत्र भागीरथ निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
8. वनवारी पुत्र भागीरथ निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
9. विमला पत्नी मूलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
10. बुधराम पुत्र मूलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
11. विकी पुत्र मूलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
12. सोनू पुत्र मूलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
13. सुशीला पुत्री मूलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
14. मुंगली पत्नी मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
15. खेमचन्द पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
16. रमेश पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
17. दलीप पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
18. संतरा पुत्री मोहनलाल पत्नी फुलचन्द निवासी निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी टोडी दुडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
19. मणी पुत्री मोहनलाल पत्नी श्योपाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी टोडी दुडिया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
20. बिरजू देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी महीपाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी राणी सती मंदिर के पास कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं
21. दुर्गी देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी सतपाल निवासी धोलाखेडा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी राणी सती मंदिर के पास कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं
22. सरोज पुत्री मोहनलाल पत्नी पूनमचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी बडागांव तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
23. रामनिवास पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेडा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
24. विनोद पुत्र मोहनलाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
25. विमला पुत्री मोहनलाल पत्नी साधुराम निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
26. सुशीला पुत्री मोहनलाल पत्नी मुलचन्द निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं हाल निवासी रामपुरा गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं
27. महावीर प्रसाद पुत्र जगुराम निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
28. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी
29. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण :— एडवोकेट सुरेन्द्र कुमावत।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 21/08/2024

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि हाल खसरा 588 रकबा 2.17 है0 किस्म बारानी 1, 2 कुल किता 1 रकबा 2.17 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 27 की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से स्वयं के 1/4 हिस्से की भूमि में से कुल क्षेत्रफल 0.28 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2013 को हरिशचन्द्र पुत्र भगवानाराम को करवाया गया था। विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2013 में प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र ओमप्रकाश बतौर गवाह रहा है। हरिशचन्द्र द्वारा दिनांक 05.09.2017 को भूमि खसरा नम्बर 588 रकबा 2.17 है0 में से स्वयं का सम्पूर्ण 4/31 हक हिस्से का बेचान जरिये विक्रय पत्र वादियां को किया गया था। विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2017 के आधार पर वादिया के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है उक्तानुसार ही वादिया का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 27 के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का आपसी बाहमी विभाजन काफी वर्षों पूर्व हो गया था। मुताबिक बाहमी विभाजन वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादिया को 4/31 हक हिस्सा का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी विभाजन से प्राप्त भूमि पर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने के राज कब्जा सुपुर्द किया था। वादिया विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने के रोज से बिना किसी वाद विवाद के स्वयं के हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामनिवास ने सर्वप्रथम स्वयं की पुत्री संतानों के जरिये संरक्षक माता सुनिता देवी उक्त वर्णित भूमि बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर वादिया से विवाद किया गया है। उक्त प्रस्तुत वाद खारिज हो जाने पर स्वयं रामनिवास ने बाला–बाला रूप से वादिया को तंग परेशान करने व वादिया द्वारा खरीदी गई भूमि को नाम मात्र प्रतिफल राशि में स्वयं द्वारा वापस खरीदने के लिए झुठे वादपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामनिवास द्वारा वादिया द्वारा खरीद की गई भूमि बाबत् मुकदमें कर तंग परेशान कर ने व वादिया के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने पर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में दर्ज अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र माह मार्च 2023 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां प्रस्तुत किया था। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में नये जिले व नई तहसील राजस्थान सरकार द्वारा बनाये जाने के कारण वाद पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम धोलाखेडा तहसील गुढागौड़जी के अधीन आने से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहां अंतरित होकर सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में वादिया के लम्बित वाद पत्र संख्या 342/2023 उनवानी मंजू कनवा बनाम ताराचन्द को वादिया द्वारा दिनांक 31.05.2024 को वाद पत्र में कानूनी खामी होने से नया वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो कर लिया था। वादिया को उक्त वर्णित भूमि में विक्रय पत्र के सलंग्न नक्शा के मुताबिक ही कब्जा काश्त है व वादिया मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन करवाने की कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामनिवास व सुरेश कुमार वादिया के कब्जे काश्त की भूमि में वादिया को अनुचित रूप से दखलअंदाजी करते है व सीमा विवाद करते हैं। वादिया द्वारा मना करने पर झुठे मुकदमें दर्ज करवाने की धमकी देते है। इस कारण वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद कारण माह मार्च, 2023 से अनवरत जारी है। इस कारण यह वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वाद पत्र पेश कर वादिया ने निवेदन किया किया कि वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि हाल खसरा 588 रकबा 2.17 है0 किस्म बारानी 1, 2 कुल किता 1 रकबा 2.17 है0 भूमि में से वादिया 4/31 हक हिस्से की भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है तथा उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 4/31 हिस्से व मुताबिक कब्जा काश्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाकर वादिया का अलग विधिवत खाता कायम करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 27 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया के 4/31 हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपभोग उपयोग में बाधा कारित न करें।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

काउन्टर क्लेम

उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 27 व वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा कर रखा था। उक्त बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 27 अपने हक हिस्से की भूमि 24/217 पर काबिज काश्त चला आ रहा है व अन्य खातेदारान मुताबिक बाहमी बंटवारे के अपने-अपने खसरा न म्बर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 27 ने वादी को विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो पहले तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 27 से कहा कि तहसील में चलकर 5-7 रोज में विधिवत् बंटवारा करवा लेंगे। प्रतिवादी संख्या 27 ने माह जून 2025 में पुनः वादी से निवेदन किया तो वादी ने विधिवत् बंटवारा करवाने से इंकार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 27 के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा काश्त करने की धमकी दी तथा बंटवारा करवाने से साफ-साफ इंकार कर दिया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 27 को यह काउन्टर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रतिवादी संख्या 27 की ओर से जबावदावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सहरद में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या नया 258 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 2.1700 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.1700 है0 भूमि में से रास्ते का प्रावधान रखते हुए उक्त भूमि का खाता विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 27 को 24/217 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग लगान, अलग जमाबन्दी, अलग लगान व अलग पासबुक जारी की जावे।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 30.07.2025 को वाद वादिया तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 27 को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/2569 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादिया तथा वकील प्रतिवादी नं. 27 को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्तागण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादिया तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 27 को न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: निर्णय :-

वाद वादिया तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 27 सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सहरद में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या नया 258 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 2.1700 है0 सम्पूर्ण भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/2569 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस

दावा बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम वाद डिक्री

उनवान मंजु कनवा बनाम ताराचन्द वगैरह

मुकदमा नं. : 317 / 2024 दिनांक : 21/08/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा. ट्रे.), झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21/08/25 के अनुसार वकील वादिया राजेन्द्र सिंह बुडानियां तथा वकील प्रतिवादी संख्या 27 सुरेन्द्र कुमावत की उपस्थिति में वाद वादिया तथा प्रतिवाद प्रतिवादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सहरद में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या नया 258 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 2.1700 है0 सम्पूर्ण भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 2569 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	7	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.)